P001

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका सख्या 14992/2018 प्रहलाद खत्री बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.18 के सम्बन्ध में याचिकार्थी द्वारा निर्णय की पालना के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किए अभ्यावेदन दिनांक 04.10.18 को अभिलेख एवं सम्बन्धित सेवा नियमों कि स्थिति के सम्बन्ध में देखा गया।

याचिकार्थी की ओर से निर्णय की पालना हेतु अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह मांग की गई कि याचिकार्थी का प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) इतिहास के पद पर वर्ष 2010–11 की रिक्तियो के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी के तहत विभाग द्वारा चयन किये जाने के पश्चात याचिकार्थी समान वर्ग वाले कनिष्ठ कार्मिको के.समान प्रधानाचार्य उमावि–समकक्ष पद पर वर्ष 2018–19 की रिक्तियो के विरूद्ध चयन की पात्रता रखता है। अतः उसे भी समान चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियें के विरूद्ध प्रधानाचार्य उमावि–समकक्ष पद पर चयनित किया जाकर पदोन्नति प्रदान की जावे।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में की गई मांग के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल याचिका सख्या 14992/2018 में पारित आदेश दिनांक 01.10.2018 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का उचित निस्तारण निर्णय की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर करें।

अभिलेखीय स्थिति के अनुसार याचिकार्थी का प्राध्यापक स्कूल शिक्षा इतिहास के पद पर वर्ष 2010–11 की रिक्तियो के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी के तहत विभाग द्वारा चयन किये जाने के पश्चात आदेश कमांक शिविरा/मा/संस्था/वरि/के–1/12045/प्रवेश्रृ/नामांकन–विलोपन/2018 दिनांक 31.01.2019 के द्वारा याचिकार्थी का प्रथम वेतन श्रृख्ला (व्याख्याता) की मिश्रित अस्थाई वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता कमांक 297–1 वरिष्ठता अवधि 2010–11 में नामांकन किया जा चुका है।

अतः प्रधानाचार्य उमावि–समकक्ष पद की चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध याचिकार्थी के समान वर्ग वाले कनिष्ठ कार्मिको का डीपीसी से चयन होने सम्बन्धी स्थिति एवं याचिकार्थी के नियमानुसार उक्त चयन वर्ष की रिक्तियो के विरूद्ध चयन हेतु विचार योग्य होने को दृष्टिगत रखते हुए याचिकार्थी का प्रधानाचार्य उमावि–समकक्ष पद की चयन वर्ष 2018–19 की रिक्तियो के विरूद्ध चयन पर विचार करने हेतु पूर्व में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा डीपीसी बैठक में की गई अनुशषाओ का पुनरावलोकन करने हेतु रिव्यू डीपीसी का प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने सम्बन्धी कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/कोके/बी–ाा /या0–14992/प्रहलाद खत्री/18 /2। दिनांकः– 01-02-2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूंटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धि संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–विधि) जोधपुर।
9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
10. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. श्री प्रहलाद खत्री पुत्र श्री युधिष्ठिर खत्री, 142 बगाली क्वाटर, न्यू पानी रोड़, भगत की कोठी, जोधपुर (रजिस्टर्ड)
12. निजी पजिका/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी. सिविल याचिका सख्या 372/18 मुकेश कुमार शर्मा व अन्य 08 बनाम सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2018 के क्रम में याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार शर्मा व अन्य 08 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत (मुकेश कुमार शर्मा, अनिल कुमार शर्मा, गंगाधर पाठक, सुनिल रावल, प्रवीण सिंह) करके अभ्यावेदन में स्वयं को राजस्थान लाक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती–2012 परीक्षा में रिजर्व लिस्ट से चयनित बताते हुए याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में प्रदत्त निर्देशों का हवाला देकर प्रधानाध्यापक (मावि) के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधानाध्यापक (मावि) भर्ती परीक्षा 2012 के तहत चयनित एवं नियुक्त कार्मिकों के अनुरूप वरिष्ठता व अन्य परिलाभ दिलवाने की मांग की है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का एस.बी.सिविल याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सकारण स्पीकिंग आदेश के जरिये निस्तारित करने के निर्देश जारी किये गये। सन्दर्भित निर्णय एक ही मेधा सूची में चयनित एवं याचिकार्थी से कनिष्ठ वरियता के अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्व में हो जाने के कारण विलम्ब से नियुक्ति पाने वाले वरिष्ठ अभ्यर्थी (याचिकार्थी) को कनिष्ठ अभ्यर्थी के समान काल्पनिक लाभ देने के सम्बन्ध में है। हस्तगत प्रकरण में आरक्षित सूची से नियुक्त अभ्यर्थी ने मुख्य सूची के अभ्यर्थी से तुलना कर उसके समान परिलाभ की मांग की है जिसमें सन्दर्भित याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में प्रदत्त न्यायिक निर्णय अनुरूप कनिष्ठ अभ्यर्थी से तुलना नहीं है।

याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अभिलेखानुसार गहन मनन एवं परीक्षण किया गया। याचिकार्थी मुकेश कुमार शर्मा व अन्य 08 ने राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सीधी भर्ती से प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) के पद पर आरक्षित सूची मे निम्नानुसार चयनोपरान्त कार्यग्रहण किया।

क्र0स0	याचिकार्थी का नाम	मेरिट सख्या	वर्तमान पदस्थापन	जन्म दिनांक	नियुक्त आदेश दिनांक	वर्तमान पद पर कार्यग्रहण
1	Mukesh Kumar	R-06	Gss-Dhaturiya, Baran	15.05.1974	27.12.2017	29.12.2017
2	Anil Kumar Sharma	R-13	Gss-Hemlywala, Dausa	20.07.1980	27.12.2017	29.12.2017
3	Gangadhar Pathak	R-05	GGss-Posaliya, Sirohi	05.05.1975	27.12.2017	28.12.2017
4	Sunil Rawal	R-26	GGss-Kupda, Banswara	22.10.1976	27.12.2017	29.12.2017
5	Hemant Singh	R-20	Gss-Dhupaliya, Bikaner	22.12.1978	27.12.2017	29.12.2017
6	Praveen Singh	R-10	Gss-Unchiyo ki Dhani, Barmer	01.01.1979	27.12.2017	28.12.2017
7	Dhanesh Kumar Shrma	R-17	GGss-Roda, Bikaner	25.08.1977	27.12.2017	29.12.2017
8	Jaidev Singh	R-24	Gss- Devgarh, Sikar	10.05.1977	27.12.2017	29.12.2017
9	Rajeev Sukhwal	R-22	GGss-Dewali, Udaipur	28.03.1973	27.12.2017	29.12.2017

चूंकि याचिकार्थी श्री मुकेश कुमार शर्मा व अन्य 08 (श्री हेमतसिंह, अनिल कुमार, धानेश कुमार, जयदेव सिंह, गंगाधर पाठक, सुनिल रावल, प्रवीण सिंह तथा राजीव शुक्ला) की नियुक्ति मूल सूची के आधार पर न होकर आरक्षित सूची की अभिस्तावना के आधार पर विभाग द्वारा की गई है, याचिकार्थी का प्रकरण याचिका सख्या 7283/2014 मनोज खण्डेलवाल बनाम सरकार में पारित निर्णय से कवर नही पाये जाने के कारण याचिकार्थी को सेवा से सम्बन्धित समस्त परिलाभ स्वीकृत किया जाना नियमान्तर्गत नहीं हैं। अतः उपरोक्त उल्लेखित याचिकार्थियों मे क.सं. 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं। शेष याचिकार्थी क.सं. 5 से 9 द्वारा किसी प्रकार का अभ्यावेदन दिया जाना प्रकट नहीं हो रहा हैं। अतः इनके द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिका को ही अभ्यावेदन के रूप में स्वीकार किया जाकर इनके द्वारा चाही गई मॉग को भी एतद् द्वारा खारिज किया जाता हैं । सभी सम्बन्धित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमाक शिविरा/मा/सस्था/कोके/बी–III/या0–372/मुकेश कुमार व अन्य 08/18/19 दिनांकः– 01-02-2019
प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रॉमर, कम्प्यूंटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)।
6. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय) ।
8. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शि.अ./नियंत्रण अधिकारी।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. श्री मुकेश कुमार शर्मा, प्राधानाध्यापक, **Govt.Sec.School-Dhaturiya, Baran**(रजिस्टर्ड)
11. श्री हेमन्त सिंह, प्रधानाध्यापक, **Govt.sec.School-Dhupaliya, Bikaner** (रजिस्टर्ड)
12. श्री अनिल कुंमार शर्मा, प्रधानाध्यापक,**Govt.Sec.School-Hemlyawala,Dausa**(रजिस्टर्ड)
13. श्री धानेश कुमार शर्मा, प्रधानाध्यापक, **Govt.G.Sec.School-Roda, Bikaner** (रजिस्टर्ड)
14. श्री जयदेव सिंह, प्रधानाध्यापक, **Govt.Sec.School-Devgarh, Sikar** (रजिस्टर्ड)
15. श्री गंगाधर पाठक, प्रधानाध्यापक, **Govt.G.Sec.School-Posaliya, Sirohi** (रजिस्टर्ड)
16. श्री सुनिल रावल, प्रधानाध्यापक, **Govt.G.Sec.School-Kupda, Banswara** (रजिस्टर्ड)
17. श्री प्रवीण सिंह,प्रधानाध्यापक,**Govt.Sec.School-Unchiyo ki Dhani,Barmer**(रजिस्टर्ड)
18. श्री राजीव सुखवाल, प्रधानाध्यापक, **Govt.G.Sec.School-Dewali, Udaipur** (रजिस्टर्ड)
19. निजी पंजिका/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)